

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
दूसरी मंजिल, जी०एस०आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र,
महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधानसभा,
रायपुर -छ.ग.)-492005,
टेलीफिक्स 0771-2282530, 2285595,



उलंघन पत्र **Speed Post/Email**
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional controller of mines
2nd Floor, GSI FTC, AG office Complex
Post- Vidhan sabha, Raipur (CHG)-492005
Telefax-0771-2282530 / 2285595
Email-ro.raipur@ibm.gov.in

No- CHG/BST/LST-09

खान कोड - 38CHG01016

दिनांक - 01/07/2021

प्रेषित श्री विमल लूनिया,
मेसर्स विमल स्टोन एसोसिएट्स,
सेमी अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रीजरपुर,
पी.ओ. - जगदलपुर, जिला- बस्तर
छत्तीसगढ़ - 494001
Email: vimalstone@hotmail.com,
vimalstoneassociates@gmail.com

Shri Vimal Lunia,
M/S Vimal Stone Associates,
Semi Urban Industrial Area,
Frezerpur, P.O. – Jagdalpur,
Dist- Bastar,
Chhattisgarh- 494001

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित आपकी Mograpal Limestone Mine, 15.94 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 24/06/2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from approved Scheme of Mining Plan vide letter no- BST/LST/MPLN-941 Dated 17/08/2016 for the period of 2016-17 to 2020-21. (A) Boundary Pillars: It has been found that all the pillars don't have their serial/identification numbers. All boundary pillars are not been constructed and maintained as per specification mentioned in MCR 1960. (B) Bore- hole: Incomplete form J submitted only one soil sample analyzed. No information about Collar RL and Bottom RL. (C) Afforestation: There was a proposal given for plantation of 500no of plants whereas none of the plantation have been planted.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30 th day of June for the year 2020-2021.
35(4)	Online self-assessment report of sustainable mining-(star rating) of your mine have been found below three-star rating till the year 2019-20. It should have been at least three star and above within period of three years from date of notification of MCDR 2017.
Rule 45(5) (c)	Annual return 2020-21, which shall be submitted before the 1 ST day of July each year for the preceding year in electronic form along with a signed print copy of the same has not been submitted.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(C) के अंतर्गत
(क) खदान की सारी सक्रियाएं बन्द की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि - for Information please By email

- 1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर